पत्रांक–बि0क0च0आ0–प्र0–03/परीक्षा (विज्ञापन)–48/2025

बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

शुद्धि पत्र

ज्ञापांकः– 3926/आ0,   पटना, दिनांकः– 27.9.2025

आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक–2987/आ0, दिनांक–04.08.2025 द्वारा चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या–05/25 प्रकाशित की गयी है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1003, दिनांक–22.01.2021 एवं पत्रांक–12897, दिनांक–28.07.2022 के आलोक में संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दी जानी है, परन्तु इस संबंध में प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख नहीं है।

तदालोक में विधिवत् नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदाकर्मी का नियमानुसार लाभ दिये जाने संबंधी प्रावधान को प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–5 (आरक्षण) की उप कंडिका–(x) के बाद उप कंडिका (xi) के रूप में निम्नरूपेण सम्मिलित की जाती है:–

उप कंडिका (xi)–"संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियमानुसार अधिमानता दी जायेगी एवं उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा, जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1003, दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(5) के आलोक में विधिवत् नियोजित संविदा कर्मियों को ही संविदाकर्मी के रूप में लाभ दिया जाएगा। **उक्त सुविधाएँ अवैध नियुक्तियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों एवं बाह्य सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्त कर्मियों के संबंध में लागू नहीं होंगे।**

(a) संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जाएगी।

(b) संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्रसीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत् वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा पर कार्यरत होने संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा विभागीय प्रधान/सचिव/निदेशक/जिला पदाधिकारी से निर्गत होना चाहिए। संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित संलग्न विहित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण–पत्र एवं संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।"

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–12897, दिनांक–28.07.2022 एवं संकल्प संख्या–1003, दिनांक–22.01.2021 की छायाप्रति सुलभ संकेत हेतु संलग्न है।

2. प्रकाशित विज्ञापन में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद हेतु कुल 1064 रिक्तियाँ शामिल हैं, जिनकी कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:–

आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गो की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
572	102	17	101	154	12	106	1064	22	दृष्टि दिव्यांग-11 मूक बधिर दिव्यांग-10 चलन्त दिव्यांग-10 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-11
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
200	36	06	35	54	–	37	368		

27/9/2025

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–16798, दिनांक–08.09.2025 द्वारा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटिवार संशोधित रिक्तियाँ आयोग कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रकाशित विज्ञापन के नोट–III के आलोक में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटिवार रिक्तियों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:–

आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)			
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
572	156	17	47	154	12	106	1064	22	दृष्टि दिव्यांग-11 मूक बधिर दिव्यांग-10 चलन्त दिव्यांग-10 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-11
200	55	06	16	54	–	37	368		

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से समरूप शैक्षणिक योग्यता (स्नातक स्तरीय) से संबंधित उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद की 60 रिक्तियों हेतु अधियाचना प्राप्त हुई है, जिसका वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:–

पदनाम	वेतनमान	योग्यता	
		न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	तकनीकी योग्यता
उद्योग विस्तार पदाधिकारी	वेतन स्तर–7	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंक के साथ वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/सांख्यिकी विषय में स्नातक।	–

चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के नोट–III के आलोक में उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद हेतु प्राप्त 60 रिक्तियों को वि0सं0–05/25, में शामिल किया जाता है, जिसकी कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग का नाम	अनारक्षित	आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या						कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
				अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
			35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
01	उद्योग विस्तार पदाधिकारी	उद्योग विभाग, बिहार, पटना	30	07	02	13	00	02	06	60	02	दृष्टि दिव्यांग-01 मूक बधिर दिव्यांग-01 चलन्त दिव्यांग-01
			11	02	00	05	00	–	02	20		

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटिवार रिक्तियो में संशोधन एवं उद्योग विस्तार पदाधिकारी पद हेतु प्राप्त 60 रिक्तियों को प्रकाशित विज्ञापन में शामिल करने के उपरान्त चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–05/25) हेतु कोटिवार कुल रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है:–

आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या							कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
अनारक्षित	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
855	**204**	**21**	**105**	**183**	**18**	**155**	**1541**	**32**	दृष्टि दिव्यांग-17 मूक बधिर दिव्यांग-15 चलन्त दिव्यांग-15 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-16
300	71	06	36	63	–	54	530		

वि0सं0–05/25 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। विज्ञापन की शेष कंडिकायें यथावत् रहेंगी।

अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग के वेबसाईट https://bssc.bihar.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

27/11/2025

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।